

FORM NO-III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाग-रूपनगढ, जिला-अजमेर

रतनी देवी बनाम

कुरुशाल

किस्म मुकदमा- धारा 42,175,209,92 सा0का0अपि0

नम्बर- 34 वर्ष-2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
05.06.2025	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा- 42, 175, 209, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, के तहत पेश किया। वाद-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक.....19-6-25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)</p>	
19-6-25	<p><u>बार एसो. स्वगन</u> पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. प्रति. सं. 1 से 13 के P.O. साहब को/अवकाश पर पधारे है। सम्मन शामिल शुदा अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक प्राप्त। वकील वादी की .....26-6-25 को पेश हो। और से प्रापत्र 15। C.P.C. पेश किया। प्रति. सं. 1 से 5, 7 से 11 की ओर से वकील श्री गणेश प्रजापति ने कसौ पेश किया।</p>	
26-6-25	<p><u>बार एसो. स्वगन</u> पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब को/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक .....17-7-25 को पेश हो।</p>	
17-7-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उममपल उप. वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1, 2 संपठित धारा 15। C.P.C. वास्ते वाद प्रत्याहरण कर पुनः वाद प्रस्तुत करने बाबत पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार न्यायालिय की परामर्श लेथोजित किया गया है जो वर्तमान में बालिय है चुके है, इसलिए वाद की प्रत्याहरण कर पुनः वाद प्रस्तुत करना याद है। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी की सुना गया। तदनुसार उक्त प्रार्थना स्वीकार किया</p>	

